

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221264
SG-DL-E-21082020-221264

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2020/श्रावण 29, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 108
No. 165]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2020/SRAVANA 29, 1942	[N. C. T. D. No. 108

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

'kgjh fodkl foHkkx

vf/k l'puk

दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

I-Qk- 16%1%@ 'k0fo0@MCY ; @2000&2001@ i kV. Qkb'y@1110&1111.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के खण्ड (8) के अन्तर्गत इस सरकार की दिनांक 6 अप्रैल 1998 की अधिसूचना सं० फा० 16(1)/श.वि./दि.ज.बो./98-99/4199 के अनुसार गठित दिल्ली जल बोर्ड, में श्री रविन्द्र सिंह नेगी, सदस्य (जलनिकास) की कार्यवाधि को 16 अगस्त, 2020 से 15 अगस्त, 2021 तक अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
हरजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (जल)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 20th August, 2020

F.No.16(1)/UD/W/2000-2001/Part File/1110-1111.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the term of Sh. Ravindra Singh Negi, Member (Drainage) for a further period of one year i.e. with effect from 16th August, 2020 to 15th August, 2021 in the Delhi Water Board, Delhi, constituted vide this Government's Notification No. F.16(1)/UD/DWB/98-99/4199, dated 6th April, 1998 under clause (8) of Sub Section (2) of Section 3 of the said Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

HARJEET SINGH, Section Officer (Water)